सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन

7580. **श्री रामजी लाल** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलावटी मिट्टी का तेल बेचा जा रहा है!

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हरियाणा को इस वर्ष और अगले वर्ष में कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जायेगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। जबकि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुपीरियर मिट्टी के तेल सहित छः आवश्यक वस्तुओं का थोक में आवंटन करती है, वहीं उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वास्तविक वितरण की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विशाल कार्य में, जिसमें चार लाख से अधिक उचित दर दुकानें शामिल हैं, यह-तत्र कुछ कमियों से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरण के लिए सुपीरियर मिट्टी के तेल को अन्यत्र बेचे जाने से रोकने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने इस उत्पाद को नीले रंग से रंगना शुरू किया है। जहां कहीं भी राज्य सरकारों ने सहमति दी है वहां थोक विक्रेताओं को मिट्टी के तेल की दरवाजे तक सुपुर्दगी की योजना भी शुरू की गई है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ऐसे कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विशेष रूप से सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में, उचित दर दुकान स्तर की सतर्कता समितियां स्थापित करने की सलाह दी गई है, ताकि आवश्यक वस्तुओं का उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की देख-रेख में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(ग) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुपीरियर मिट्टी के तेल का थोक में मासिक आवंटन करती है। 1994 के दौरान हरियाणा को किया गया औसत मासिक आवंटन 12823 मी. टन था। हरियाणा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सुपीरियर मिट्टी के तेल का वर्तमान मासिक आवंटन 13040 मी. टन (जून, 1995 के लिए आवंटन) है।

Steps to ensure passing of excise duty concessions to consumers

7581. SHRI RAMDAS AGARWAL:
SHRI KRISHAN LAL SHARMA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what concrete/specific measures Government have taken so far to ensure that the excise duty benefits in reality are passed on to the consumers;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) what action Government have taken against the industries that have defaulted in the matter of excise duty concession during the year 1994-95;